जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–3, सन् 2011) को विभाग में प्रभावी रूप से लागू करने सम्बन्धी विषय पर विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.2018 को प्रातः 10ः बजे समीक्षा सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त ।

उपरोक्त बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :

1. डा0 मंजू मलिक, निदेशक (बजट एवं प्लानिंग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ।
2. डा0 वी0के0 सिंह, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ।
3. डा0 बद्री विशाल, निदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. श्री मनीष मिश्रा, सिस्टम मैनेजर, डी0आर0सी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ।
5. श्री अजय सिंह कश्यप, यू0पी0एल0सी0, लखनऊ।

बैठक में निम्न बिन्दुओ पर चर्चा की गयी :

1. प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जनहित गारण्टी से सम्बन्धित सेवाओं को आम जन–मानस तक उपलब्ध कराये जाने हेतु जारी होने वाले शासनादेश पर दिनांक 25.06.2018 को सम्पन्न बैठक में विचार विमर्श के पश्चात विभिन्न संशोधनों के उपरान्त निर्गत किये जाने हेतु शासनादेश को अन्तिम रूप दिया गया।
2. प्रस्तावित सॉफ्टवेयर के संचालन हेतु एक डोमेन"www.uphealth.gov.in को रजिस्टर करने हेतु कमेटी के सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया, जिस पर कमेटी द्वारा सहमति व्यक्त की गयी, जिस हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ एवं निदेशक, प्लान एवं बजट, उ0प्र0, लखनऊ की NIC/GOV के ई–मेल आई0 की आवश्यकता होगी, जिसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।
3. कमेटी के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा ई–ऑफिस के संचालन हेतु सभी अधिकारीगणों को डी0एस0सी0 सर्टिफिकेट की ए0पी0आई0 निःशुक्ल प्रदान की जा रही है, इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को डी0एस0सी0 की ए0पी0आई0 प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध कर लिया जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद एवं समाप्त हुयी।

भवदीय,

डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्याः–1958 /सेक–2–पांच–18–7(50)/2018
लखनऊः दिनांक 26 जून, 2018

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ ।
4. समस्त सदस्यगण।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।

U.O- shiv 2018

संख्या–1957 /सेक–2–पांच–18–7(50)/2018

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय/डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय,/डा0 आर0एम0एल0 चिकित्सालय, लखनऊ/यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर/ओपेक चिकित्सालय, कैली, बस्ती/मानसिक रोग चिकित्सालय, वाराणसी/बरेली।
2. प्रमुख अधीक्षक, समस्त मण्डलीय चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला)/जनपद स्तरीय चिकित्सालय/अन्य चिकित्सालय।

चिकित्सा अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 26 जून, 2018**

विषयः प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जनहित गारण्टी से सम्बन्धित सेवाओं को आम जन–मानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जन–मानस को किफायती, पारदर्शी एवं सहज–सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग की अधिसूचना संख्या–698/91–2017, दिनांक 27.10.2017 द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के आधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदत 9 सेवायें प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय/जनपदीय चिकित्सालय/समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा मैनुअल/ऑनलाईन रूप में प्रदान की जा रही है :–

1. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निम्नवत् 09 सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है:–

क0सं0	सेवाओं के नाम
1	क्लीनिकल/मेडिकल अधिष्ठानों का पंजीकरण
2	मेडिकल सर्टिफिकेट का निर्गमन
3	विकलांगता प्रमाण पत्र का निर्गमन
4	असफल परिवार नियोजन के क्लेम का भुगतान
5	सफल टीकाकरण प्रमाण पत्र का निर्गमन
6	उम्र प्रमाण पत्र का निर्गमन
7	अस्पताल मे मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र का निर्गमन
8	सरकारी कर्मचारियों हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति शुल्क का निर्गमन
9	मेडिको–लीगल (इन्जरी) प्रमाण पत्र का निर्गमन

2– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की चयनित सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी

केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए निम्नानुसार लिये जाने वाले यूजर चार्जेच का निर्धारण निम्न तालिका एवं आई.टी. विभाग के शासनादेशानुसार लिये जायेंगे:-

क्रम संख्या सेवा	सेवा	स्वास्थ्य विभाग की विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं हेतु निर्धारित शुल्क	जन सुविधा केन्दों द्वारा शासकीय सेवायें उपलब्ध करायें जाने पर निर्धारित शुल्क
1.	क्लीनिकल/मेडिकल अधिष्ठानों का पंजीकरण	0	15/-
2.	मेडिकल सर्टिफिकेट का निर्गमन	0	15/-
3.	विकलांगता प्रमाण पत्र का निर्गमन	0	15/-
4.	असफल परिवार नियोजन के क्लेम का भुगतान	0	15/-
5.	सफल टीकाकरण प्रमाण पत्र का निर्गमन	0	15/-
6.	उम्र प्रमाण पत्र का निर्गमन	0	15/-
7.	अस्पताल मे मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र का निर्गमन	0	15/-
8.	सरकारी कर्मचारियों हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति शुल्क का निर्गमन	0	15/-
9.	मेडिको-लीगल (इन्जरी) प्रमाण पत्र का निर्गमन	0	15/-

3. अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उसको उपरोक्त यूजर चार्जेच देय नही होंगे।
4. अगर कोई नागरिक ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने निकटतम जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ ई-सुविधा केन्द्रों में जाकर केन्द्र ऑपरेटर से अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र ऑपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करके सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी सम्बन्धित सेवा के लिये प्रस्तर-2 में निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान केन्द्र ऑपरेटर को किया जायेगा।
5. आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की संस्था सी0ई0जी0 एवं यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि समस्त डिलीवरी प्वॉइंटस यथा-जन सेवा केन्द्रों /लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियाँ यथा-इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली जायेंगी।
6. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एन0आई0सी0/एस0ई0एम0टी0 की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किया जायेगा। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर द्वारा पाइलेट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी, ताकि गो-लाईव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
7. आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र तथा ई-सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटर को अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र आपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवाओं से सम्बन्धित ई-फार्म एवं

आवश्यक संलग्नकों को अपलोड़ करने के पश्चात् इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र सम्बन्धित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेगा।

8. बिन्दु संख्या–7 की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण विभागीय पोर्टल/एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्ण किया जायेगा।
9. ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आये आवेदन का निस्तारण विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जायेगा जैसा कि वर्तमान में प्रचलित है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियाँ शीर्ष–प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाय।

भवदीय,

/

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या–1957 (1) सेक–2–पांच–18तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर, मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
9. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, लखनऊ, उ0प्र0।
10. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ ।
11. हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेश।
12. क्षेत्रीय कार्यालय एन.आई.सी. लखनऊ।
13. लोक प्रबन्धन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
14. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, उ0प्र0, लखनऊ।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Niraj Shukla

(नीरज शुक्ला)
विशेष सचिव।

आवश्यक संलग्नकों को अपलोड़ करने के पश्चात् इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र सम्बन्धित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित करेगा।

8. बिन्दु संख्या–7 की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण विभागीय पोर्टल/एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्ण किया जायेगा।
9. ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आये आवेदन का निस्तारण विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी प्रकिया का पालन करते हुए किया जायेगा जैसा कि वर्तमान में प्रचलित है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियाँ शीर्ष–प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाय।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या– (1) सेक–2–पांच–18तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर, मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
9. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, लखनऊ, उ0प्र0।
10. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ ।
11. हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेश।
12. क्षेत्रीय कार्यालय एन.आई.सी. लखनऊ।
13. लोक प्रबन्धन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
14. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, उ0प्र0, लखनऊ।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीरज शुक्ला)
विशेष सचिव।